



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928



संख्या-2549-पें०एवंआर०-28 / पाकालि / 2024-23-पें०एवंआर० / 2015,

दिनांक 21.11.2024

ई-मेल

निदेशक (का० एवं प्रशा०),

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

विद्युत नगर, डी०एल०डब्लू,

वाराणसी।

निदेशक (का० एवं प्रशा०),

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

4-ए, गोखले मार्ग,

लखनऊ।

निदेशक (का० एवं प्रशा०),

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

गैलाना रोड,

आगरा।

निदेशक (का० एवं प्रशा०),

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

विक्टोरिया पार्क,

मेरठ।

निदेशक (का० एवं प्रशा०),

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०,

केसा हाउस,

कानपुर।

विषय : पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का ससमय भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में संज्ञान में आया है कि विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ते का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है, जबकि कारपोरेशन के पत्र संख्या-980-पें०एवंआर०/पाकालि/2024, दिनांक 06.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पेंशनर्स को चिकित्सा भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था जारी की जा चुकी है। विभिन्न पेंशन इकाईयों द्वारा पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ते का भुगतान ससमय न किये जाने के कारण पेंशनर्स संघों एवं पेंशनर्स द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी शिकायत कारपोरेशन प्रबन्धन से की जा रही है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने डिस्कॉम के अर्न्तगत समस्त पेंशन इकाईयों/खण्डों को यह निदेशित करने का कष्ट करें कि कारपोरेशन के पत्र संख्या-980-पें०एवंआर०/ पाकालि/2024, दिनांक 06.06.2024 द्वारा निर्गत व्यवस्था के अनुरूप पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ते का भुगतान ससमय कराये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि पेंशनर्स की एक बड़ी समस्या का निदान हो सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

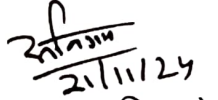
(अनिल कुमार निगम)

संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)

संख्या-2549(i) / पें0एवंआर0-28 / पाकालि / 24, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / समस्त डिस्कॉम।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / समस्त डिस्कॉम।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / समस्त डिस्कॉम।
- ✓ 4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।


21/11/24

(अनिल कुमार निगम)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 980-पें०एवंआर०-28/पाकालि/24-23-पें०एवंआर०/2015,

दिनांक : 06.06.2024

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि०,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय : पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1201-पें०एवंआर०-28/पाकालि/16 दिनांक 16.12.2016, संख्या 379-पें०एवंआर०-28/पाकालि/17, दिनांक 28.04.2017 एवं संख्या : 147-पें०एवंआर०-28/पाकालि/19, दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से पेंशनर्स को सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से वे पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, के द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि रु० 200/- प्रतिमाह का भुगतान पेंशनर्स के बैंक खातों में सीधे अन्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि भविष्य में पेंशनर्स के चिकित्सा भत्ते को उनके विद्युत बिलों में समायोजित किये जाने के दृष्टिगत आर०एम०एस० (बिलिंग प्रणाली) पर एक अन्य हेड (Head) के सृजन के साथ-साथ उसका समुचित लेखांकन (Accounting) सुनिश्चित करते हुए, चिकित्सा भत्ते को पेंशनर्स के विद्युत बिलों में समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में पेंशनर्स के विद्युत देय को ऑनलाइन जमा किये जाने की व्यवस्था प्रचलित होने के दृष्टिगत पेंशनर्स के विद्युत बिल/शुल्क को जमा कराये जाने तथा चिकित्सा भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1. विदित है कि कारपोरेशन के अधिकांश पेंशनर्स को आवंटित विभागीय विद्युत संयोजन का आर०एम०एस० (बिलिंग प्रणाली) पर लेजराइजेशन किया जा चुका है तथा पेंशनर्स द्वारा अपने विद्युत बिल का भुगतान आर०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी पेंशनर के विभागीय विद्युत संयोजन का लेजराइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका लेजराइजेशन आर०एम०एस० (बिलिंग प्रणाली) पर तत्काल कराया जाये।
2. पेंशन इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख को पेंशनर्स द्वारा किये गये विद्युत बिल/शुल्क के भुगतान की पुष्टि आर०एम०एस० (बिलिंग प्रणाली) पर करते हुए सम्बन्धित पेंशनर को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान ई०आर०पी० प्रणाली के माध्यम से उसके बैंक खाते में कर दिया जाये।
3. उपरोक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का सभी पेंशन इकाईयों द्वारा कड़ाई से नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

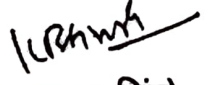
भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 980-पें0 एवं आर0-28/पाकालि0/24/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. समस्त निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वान्चल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ/केस्को, कानपुर।
02. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त डिस्कॉम।


(कमलेश बहदुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)